[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 21/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 **जून, 2021**

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत,भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-**4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

(i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल राशि शून्य है;

(ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है|

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 73/2017– केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 93/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22 दिसंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 22 दिसंबर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।